नरवणे के 'संस्मरण' की प्रति लेकर संसद पहुंचे राहुल गांधी ने कहा

सदन में प्रधानमंत्री को पुस्तक भेंट करेंगे

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 4 फरवरी।

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बुधवार को पूर्व सेना प्रमुख एमएम नरवणे के अप्रकाशित संस्मरण की एक प्रति लेकर संसद पहुंचे। राहुल ने संस्मरण के एक अंश का हवाला देते हुए दावा किया कि जब चीन के टैंक भारत की सीमा की तरफ बढ़ रहे थे, उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं किया था। उनका कहना था कि यदि प्रधानमंत्री सदन में आते हैं तो वह यह पुस्तक उन्हें भेंट करेंगे।

उन्होंने संवाददाताओं को पुस्तक दिखाते हुए कहा, सरकार कहती है कि यह किताब अस्तित्व में नहीं है, लेकिन यह रही किताब। भारत के हर युवा को यह देखना चाहिए कि यह किताब मौजूद है। यह नरवणे की किताब है, लेकिन मुझे कहा गया है कि मैं इसके अंश उद्धृत नहीं कर सकता। राहुल गांधी ने दावा किया कि इसमें प्रधानमंत्री की कही एक लाइन है कि जो उचित समझो, वो करो।

कांग्रेस नेता ने कहा, नरवणे ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को फोन कर बताया कि सीमा पर चीन के टैंक आ गए हैं, हमें क्या करना है? लेकिन तब राजनाथ सिंह का कोई उत्तर नहीं आया। नरवणे ने उन्हें फिर फोन किया, जिस पर रक्षा मंत्री ने कहा कि मैं 'ऊपर' से पूछता हूं। 'ऊपर' से आदेश आया कि जब चीन की सेना हमारी सीमा के अंदर आए तो बिना हमसे पूछे फायर नहीं करें। उनका कहना था कि हमारी सेना चीन के टैंकों पर हमला करना चाहती थी, क्योंकि वो भारत की सीमा में घुस आए थे। लेकिन इस मुश्किल समय में नरेंद्र मोदी ने संदेश दिया कि जो उचित समझो, वो करो।

मतलब प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की और सेना से कहा कि आपको जो करना है करो, मेरे बस की नहीं है।

'सच्चाई सामने आने से डर रही सरकार'

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बुधवार को दावा किया कि सरकार लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को सदन में बोलने नहीं दे रही है। वह इस बात को लेकर डरी हुई है कि चीन के साथ सैन्य तनाव के समय की उसकी सच्चाई सामने आ जाएगी। प्रियंका गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार दिखाना चाहती है कि संसद में सिर्फ उन्हीं की चलती है। यह लोकसभा अध्यक्ष पद, संसद, लोकतंत्र और देश की जनता का निरादर है।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा

नियम से निर्धारित होती है सदन में बोलने की अनुमति

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 4 फरवरी।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बुधवार को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर इशारों-इशारों में पलटवार करते हुए कहा कि सदन में बोलने की अनुमति देना या नहीं देना नियम-पक्रिया से निर्धारित होता है। राहुल गांधी ने मंगलवार को बिरला को पत्र लिखकर उन पर सरकार के इशारे पर खुद को सदन में बोलने से रोकने का आरोप लगाते हुए कहा था कि यह लोकतंत्र पर 'काला धब्बा' है।

लोकसभा की कार्यवाही बुधवार को जब एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे शुरू हुई तो बिरला ने भारत और अमेरिका के बीच हुए व्यापार समझौते पर वक्तव्य देने के लिए वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का नाम पुकारा। गोयल ने सदन में विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी के बीच वक्तव्य पढ़ा। इस दौरान विपक्षी सदस्य आसन के निकट पहुंचकर नारेबाजी कर रहे थे। गोयल के वक्तव्य देने के दौरान कुछ विपक्षी सदस्य सत्तापक्ष की अग्रिम पंक्तियों की तरफ भी पहुंच गए। बिरला ने विपक्षी सदस्यों से कहा कि इस देश में अलग-अलग समय आप सरकार में रहे हैं। मेरा मत है कि इतने लंबे समय तक सरकार में रहने के बावजूद आप सदन की परंपराओं और मर्यादाओं को तोड़ रहे हैं। विरोध का तरीका और हो सकता है। लेकिन आप उस जगह (सत्तापक्ष की सीटों की तरफ) जाकर मर्यादाओं को तोड़ेंगे तो लोकतंत्र के प्रति लोगों को विश्वास कम होगा। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का नाम लिए बगैर कहा कि आप चुनकर आते हैं। सदन के अंदर और बाहर विरोध का तरीका होता है। लेकिन आप इतने वरिष्ठ नेता हैं, आपने लंबे समय तक शासन किया है। बोलने की अनुमति देना या नहीं देना नियम प्रक्रिया से निर्धारित होता है। क्या आप मर्यादा तोड़ेंगे? आपके सदस्य इधर से उधर जाएंगे, क्या यह उचित है?

लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि मंत्री बोल रहे हैं, आपके सदस्य उधर जाकर खड़े हो रहे हैं, यह उचित नहीं है। उनका कहना था कि पहले भी विरोध हुआ है, लेकिन मर्यादा किसी ने नहीं तोड़ी। आप मर्यादाएं तोड़ रहे हैं। यह उचित नहीं है। नारेबाजी और बैनर से विरोध नहीं होता, बल्कि बोलकर और तर्कों से होता है। राहुल गांधी ने सोमवार की तरह मंगलवार को भी लोकसभा में पूर्व सेना प्रमुख एमएम नरवणे के अप्रकाशित संस्मरण पर आधारित लेख का हवाला देकर चीन का विषय उठाने का प्रयास किया था, लेकिन आसन से इसकी अनुमति नहीं मिली। हालांकि, उन्होंने मंगलवार को इस लेख को सत्यापित किया और सदन के पटल पर रखा।

बिरला ने कहा कि मंत्री बोल रहे हैं, आपके सदस्य उधर जाकर खड़े हो रहे हैं, यह उचित नहीं है। उनका कहना था कि पहले भी विरोध हुआ है, लेकिन मर्यादा किसी ने नहीं तोड़ी।

केंद्रीय मंत्री बिट्टू को गद्दार कहने से पूरा सिख समुदाय नाराज : भाजपा

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 4 फरवरी।

भाजपा ने केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के बारे में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की टिप्पणी की बुधवार को कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि राहुल के इस बयान से पूरा सिख समुदाय आहत है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भाजपा मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन में आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने बिट्टू को गद्दार सिर्फ इसलिए कहा क्योंकि बिट्टू ने कांग्रेस छोड़ दी थी।

पुरी ने कहा कि गद्दार शब्द को हल्के में नहीं लिया जा सकता। यह शब्द उस व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है जिसने अपने देश के साथ विश्वासघात किया हो। सिख समुदाय के लिए यह एक अत्यंत संवेदनशील मुद्दा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता ने कहा कि रवनीत सिंह बिट्टू केवल सांसद ही नहीं हैं, बल्कि वह देश की सेवा करने वाले एक सिख परिवार के सदस्य भी हैं। बिट्टू के दादा सरदार बेअंत सिंह, पंजाब के मुख्यमंत्री थे और आप उन्हें गद्दार कहते हैं। यह अस्वीकार्य है। भाजपा नेता अरविंदर सिंह लवली ने राहुल गांधी की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि कांग्रेस नेता द्वारा बिट्टू को गद्दार कहे जाने से पूरा सिख समुदाय बेहद आहत है। भाजपा प्रवक्ता आरपी सिंह ने कहा कि राहुल गांधी विदेश में यह झूठा और भ्रामक दावा करते हैं कि भारत में सिखों के साथ दूसरे दर्जे के नागरिक जैसा व्यवहार होता है।

व्यापार समझौते की घोषणा, पर अभी तक कोई ठोस विवरण नहीं : कांग्रेस

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 4 फरवरी।

कांग्रेस ने बुधवार को कहा कि अमेरिका के साथ हुए व्यापार समझौते को लेकर सरकार से जुड़े लोग चीजों को अपने हिसाब से पेश करने के लिए सक्रिय हो गए हैं लेकिन अब तक इस समझौते का कोई ठोस विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया।

पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह भी कहा कि यह स्पष्ट है कि कृषि वस्तुओं के आयात को उदार बनाने को लेकर रियायतें दी गई हैं। रमेश ने ह्यएक्सह्न पर पोस्ट किया, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा यह कहे जाने के 36 घंटे बीत चुके हैं कि भारत-अमेरिका व्यापार समझौते की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी के अनुरोध पर की गई और यह तुरंत प्रभावी हो रहा है।

उन्होंने कहा, स्पिन डाक्टर अपने काम में लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक हमारे पास इस समझौते के कोई ठोस विवरण नहीं हैं, हालांकि यह स्पष्ट है कि भारत ने कृषि वस्तुओं के आयात को उदार बनाने को लेकर रियायतें दी हैं। उन्होंने कहा, यहां तक कि कोई संयुक्त बयान भी जारी नहीं हुआ है। यह पूरी तरह स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस घोषणा को आगे बढ़ाया। क्यों? इसके कम से कम तीन कारण हैं। उन्होंने इन कारणों का उल्लेख नहीं किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को कहा था कि भारत और अमेरिका एक व्यापार समझौते पर सहमत हो गए हैं।

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank

...भरोसे का प्रतीक ! ...the name you can BANK upon !

केंद्रीकृत खरीद एवं भागीदारी प्रभाग, प्र.का., 5, संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001
(ई–मेल: hocppd@pnb.bank.in, दूरभाष: 011–23724596)

निविदा सूचना 04.02.2026

पंजाब नैशनल बैंक, GeM पोर्टल (सरकारी ई मार्केटप्लस) के माध्यम से **"आरएफपी विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए स्वचालित आपदा पुनर्प्राप्ति प्रबंधन (एडीआरएम) समाधान के कार्यान्वयन हेतु प्रस्ताव का अनुरोध"** के लिए पात्र बोलीदाताओं से ऑनलाइन बोलियां (तकनीकी और वाणिज्यिक दोनों) आमंत्रित करता है।

इच्छुक बोलीदाता विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट **https://gem.gov.in/** पर जा सकते है।

बोली संख्या: GEM/2026/B/7188960

ऑनलाइन बोली जारी दिनांक **04.02.2026.**

बोली–पूर्व बैठक की तिथि **13.02.2026**

ऑनलाइन बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि **25.02.2026 at 1600 बजे।** मुख्य प्रबंधक

एनडीआर ऑटो कम्पोनेंट्स लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : लेवल–5, रीगुस कैडी कॉमर्शियल टॉवर, हॉस्पिटैलिटी डिस्ट्रिक्ट एयरोसिटी, आईजीआई एयरपोर्ट, नई दिल्ली– 110037
सीआईएन : L29304DL2019PLC347460
वेबसाइट : www.ndrauto.com, ई–मेल : cs@ndrauto.com] दूरभाष : 91 9643339870–74

31 दिसंबर 2025 को समाप्त तिमाही तथा नौमाही के एकल एवं समेकित अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का विवरण (रु. लाख में, प्रति अंश आंकड़ा छोड़कर)

क्र. सं.	विवरण	एकल						समेकित					
		समाप्त तिमाही			समाप्त नौमाही		समाप्त वर्ष	समाप्त तिमाही			समाप्त नौमाही		समाप्त वर्ष
		31/12/2025	30/09/2025	31/12/2024	31/12/2025	31/12/2024	31/03/2025	31/12/2025	30/09/2025	31/12/2024	31/12/2025	31/12/2024	31/03/2025
		(अलेखापरीक्षित)	(अलेखापरीक्षित)	(अलेखापरीक्षित)	(अलेखापरीक्षित)	(अलेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)	(अलेखापरीक्षित)	(अलेखापरीक्षित)	(अलेखापरीक्षित)	(अलेखापरीक्षित)	(अलेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)
1	परिचालनों से कुल आय	20,898.56	20,076.55	17,622.12	59,556.08	52,387.39	71,710.08	20,894.52	20,269.75	17,622.12	59,745.24	52,531.39	71,854.08
2	अवधि हेतु निवल लाभ (कर, आपवादिक एवं / अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	1,970.97	1,950.18	1,691.76	5,674.60	4,755.09	6,790.92	1,696.75	1,958.43	1,482.95	5,067.41	4,288.37	5,973.51
3	कर पूर्व अवधि हेतु निवल लाभ (आपवादिक एवं / अथवा असाधारण मदों के उपरांत)	1,906.22	1,960.18	1,691.76	5,609.05	4,755.09	6,790.92	1,632.00	1,968.43	1,482.95	5,002.66	4,288.37	5,973.51
4	कर उपरांत अवधि हेतु निवल लाभ (आपवादिक एवं / अथवा असाधारण मदों के उपरांत)	1,519.41	1,484.60	1,338.62	4,363.61	3,688.51	5,325.79	1,241.75	1,389.51	1,129.81	3,749.64	3,219.79	4,508.36
5	अवधि हेतु कुल व्यापक आय ख्अवधि हेतु लाभ (कर उपरांत) तथा अन्य व्यापक आय (कर उपरांत) से समाविष्ट,	1,505.61	1,493.92	1,332.82	4,348.46	3,677.81	5,322.56	1,232.50	1,398.43	1,128.10	3,738.23	3,214.71	4,504.06
6	समता अंश पूंजी	2,378.53	2,378.53	2,378.53	2,378.53	2,378.53	2,378.53	2,378.53	2,378.53	2,378.53	2,378.53	2,378.53	2,378.53
7	अन्य समतायें (पुनर्मूल्याँकन आरक्षित छोड़कर), वर्ष के लेखापरीक्षित तुलन–पत्र में निदर्शितानुसार						27,852.45						21,670.69
8	आय प्रति अंश' (रु. 10/– प्रत्येक का) (परिचालनरत् तथा अपरिचालित परिचालनों हेतु) (रु. में)												
	(क) मूलभूत (रु.)	6.39	6.24	5.63	18.35	15.50	22.39	5.22	5.84	4.75	15.76	13.54	18.95
	(ख) तरलीकृत (रु.) 'वार्षिक छोड़कर अवार्षिकीकृत ईपीएस	6.39	6.24	5.63	18.35	15.50	22.39	5.22	5.84	4.75	15.76	13.54	18.95

टिप्पणियाँ :

क) उपरोक्त विवरण, सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमावली 2015 के विनियम 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज के पास फाइलबद्ध त्रैमासिक तथा नौमाही के एकल एवं समेकित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक सारॉश हैं। त्रैमासिक तथा नौमाही के समेकित एवं एकल वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप, कंपनी की वेबसाइट : (www.ndrauto.com), बीएसई (www.bseindia.com) तथा एनएसई (www.nseindia.com) पर उपलब्ध है।

ख) एनडीआर ऑटो कम्पोनेंट्स लिमिटेड (''कंपनी'') के उपरोक्त एकल एवं समेकित वित्तीय परिणामों को, कंपनी अधिनियम 2013 की प्रासंगिक नियमावली एवं संशोधनों के साथ पठित उसकी धारा 133 तथा भारत में सामान्य ढंग से स्वीकृत अन्य लेखाँकन सिद्धाँतों के अंतर्गत निर्धारितानुसार भारतीय लेखाँकन मानक (आईएनडी–एएस) के अनुरूप तैयार किया गया है।

ग) उपरोक्त एकल एवं समेकित वित्तीय परिणामों की समीक्षा लेखापरीक्षण समिति द्वारा की गई है तथा निदेशक मंडल ने दिनाँक 04 फरवरी 2026 को आयोजित अपनी बैठक में इनका अनुमोदन किया है। ये परिणाम भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकतायें) विनियमावली 2015 के विनियम 33 के अंतर्गत कंपनी के सॉविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा सीमित समीक्षा किये जाने के अधीन हैं। लेखापरीक्षकों ने उपरोक्त परिणामों पर एक असंशोधित निष्कर्ष प्रकट किया है।

निदेशक मंडल हेतु तथा उसकी ओर से
हस्ता./–
प्रणव रेलन
पूर्णकालिक निदेशक

स्थान : गुरुग्राम
दिनाँक : 04 फरवरी 2026

भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड
CONTAINER CORPORATION OF INDIA LTD.

(भारत सरकार का नवरत्न उपक्रम) (A Navratna Undertaking of Govt. of India)

ई–निविदा आमंत्रण सूचना

कॉनकॉर निम्नलिखित कार्य के लिए निविदा को एकल पैकेट प्रणाली में ई–निविदा आमंत्रित करता है:–

निविदा संख्या	CON/A-II/Mumbai Cluster/AMC-Civil/MCT & Tihi/2026-28
कार्य का नाम	मुंबई क्लस्टर, एरिया–II में एमएनएसपी / तिही, आईसीडी / पीथमपुर, आईसीडी मंडीदीप तथा कॉनकॉर हाउस, इंदौर के लिए जोनल सिविल रखरखाव और छोटे कार्य अनुबंध।
अनुमानित लागत	रु. 480.12 लाख (जीएसटी सहित)
समापन अवधि	24 (चौबीस) महीने
धरोहर जमा राशि	रु. 3,90,060/- (ई–भुगतान के माध्यम से)
निविदा दस्तावेज का मूल्य (अप्रतिदेय)	शून्य
निविदा प्रक्रिया शुल्क (अप्रतिदेय)	रु. 3540/– (ई–भुगतान के माध्यम से सभी करों एवं प्रभारों सहित)
निविदा बिक्री की तिथि (ऑनलाइन)	04.02.2026 (15:00 बजे) से 24.02.2026 (17:00 बजे तक)
निविदा जमा करने की तिथि और समय	25.02.2026 को 17:00 बजे तक
निविदा खोलने की तिथि और समय	26.02.2026 को 15:30 बजे

वित्तीय पात्रता मानदंड, समान प्रकृति के कार्य के संबंध में अनुभव आदि के लिए कृपया वेबसाइट **www.concorindia.co.in** पर उपलब्ध विस्तृत निविदा सूचना देखें, परंतु पूरा निविदा दस्तावेज केवल वेबसाइट **www.tenderwizard.com/CCIL** से ही डाउनलोड किया जा सकता है। इसके अलावा, इस निविदा से संबंधित शुद्धिपत्र/परिशिष्ट, यदि कोई हो, तो केवल वेबसाइट **www.concorindia.co.in, www.tenderwizard.com/CCIL** और सेंट्रल प्रोक्योरमेंट पोर्टल (सीपीपी) पर प्रकाशित किया जाएगा। इसके लिए समाचार पत्र में प्रेस विज्ञापन जारी नहीं किया जाएगा। **समूह महाप्रबंधक (पीएंडएस),**
फोन नंबर: 011–41222500

JAIPRAKASH POWER VENTURES LIMITED

Regd. Office : Complex of Jaypee Nigrie Super Thermal Power Plant, Nigrie, Tehsil Sarai, District Singrauli - 486 669, (Madhya Pradesh)
Corporate Office: 'JA House' 63, Basant Lok, Vasant Vihar, New Delhi - 110057 (India)
Website: www.jppowerventures.com **Email:** jpvl.investor@jalindia.co.in **CIN :** L40101MP1994PLC042920

STATEMENT OF STANDALONE & CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER/NINE MONTHS ENDED 31st DECEMBER, 2025

(Rs. in Lakhs except Earning Per Share)

Sr. No.	Particulars	Standalone						Consolidated					
		Quarter Ended			Nine Months Ended		Year Ended	Quarter Ended			Nine Months Ended		Year Ended
		31.12.2025	30.09.2025	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2024	31.03.2025	31.12.2025	30.09.2025	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2024	31.03.2025
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1	Total Income from Operations (net)	121,140	147,843	125,635	432,014	433,996	570,630	121,145	147,849	125,663	432,082	434,088	570,755
2	Net Profit / (Loss) for the period (before tax and exceptional items)	1,983	29,173	19,232	74,615	101,387	121,456	1,862	29,201	19,251	74,544	101,469	121,561
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after exceptional items)	1,983	29,173	19,232	74,615	101,387	121,456	1,862	29,201	19,251	74,544	101,469	121,561
4	Net Profit / (Loss) for the period (after tax and exceptional items)	489	18,203	12,465	46,487	65,524	81,073	377	18,210	12,668	46,400	65,788	81,355
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	464	18,203	12,469	46,463	65,535	81,075	352	18,210	12,672	46,376	65,799	81,357
6	Equity Share Capital	685,346	685,346	685,346	685,346	685,346	685,346	685,346	685,346	685,346	685,346	685,346	685,346
7	Other Equity						161,978						162,221
8	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (in Rs.)												
	Basic :	0.0048	0.20	0.14	0.51	0.73	0.89	0.0036	0.20	0.14	0.51	0.74	0.89
	Diluted :	0.0048	0.20	0.14	0.51	0.73	0.89	0.0036	0.20	0.14	0.51	0.74	0.89

Note : The above is an extract of the detailed statement of Quarter/Nine Months ended financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full Quarter/Nine Months ended financial results are available on the Stock Exchange websites i.e. **www.bseindia.com** & **www.nseindia.com** and also on the Company's website i.e. **www.jppowerventures.com.**

For and on behalf of the Board
Suren Jain
Managing Director & CEO
DIN 00011026

Place : New Delhi
Dated : 4th February, 2026

JAYPEE GROUP

प्रपत्र ए

सार्वजनिक घोषणा

[भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 6 के अधीन]

वाटिका लिमिटेड के लेनदारों के ध्यानार्थ

संबंधित विवरण

1.	**कार्पोरेट देनदार का नाम**	**वाटिका लिमिटेड**
2.	कार्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि	02 जुलाई, 1998
3.	प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट देनदार निगमित / पंजीकृत है	रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज–दिल्ली और हरियाणा
4.	कार्पोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान संख्या / सीमित दायित्व पहचान संख्या	U74899HR1998PLC054821
5.	कार्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई) का पता	यूनिट नंबर ए–002, आईएनएक्सटी सिटी सेंटर, ग्राउंड फ्लोर, ब्लॉक–ए, सैक्टर 83, वाटिका इंडिया नेक्स्ट, गुड़गांव, गुरुग्राम, हरियाणा, भारत, 122012
6.	कार्पोरेट देनदार के संबंध में ऋण शोध अक्षमता आरंभन तिथि	**03.02.2026**
7.	ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया के समापन की पूर्वानुमानित तिथि	**02.08.2026**, दिवाला प्रारंभ तिथि से 180 दिन
8.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल के रूप में कार्यरत ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल का नाम और रजिस्ट्रेशन नम्बर	**जयंत प्रकाश** **पंजी. सं.:** IBBI/IPA-001/IP-P00597/2017-2018/11049 **एएफए :** 30 जून, 2026 **तक वैध**
9.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का पता और ई–मेल, जैसा कि बोर्ड में पंजीबद्ध है	15 / 775, वसुंधरा, गाजियाबाद–201012 **मोबाईल:** 9818482663 **ईमेल : jayant_prakash@yahoo.com**
10.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का, पत्राचार हेतु प्रयुक्त, पता और ई–मेल	15 / 775, वसुंधरा, गाजियाबाद–201012 **ईमेल: ip.jayantprakash@gmail.com**
11.	दावा प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि	**17.02.2026**
12.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल द्वारा धारा 21 की 4 उप–धारा (छक) के क्लॉज (ख) के तहत अभिनिश्चित लेनदारों की श्रेणियां, यदि कोई	घर खरीदार
13.	किसी श्रेणी में लेनदारों के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने हेतु विहित ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल के नाम (प्रत्येक श्रेणी के लिए तीन नाम)	**1. श्री मनोज कुमार सिंह** **पंजीकरण सं:** IBBI/IPA-003/IP-N00050/2017-18/10443 **पता:** 203, दूसरी मंजिल, 10, सिक्का कॉम्प्लेक्स, सामुदायिक केंद्र, प्रीत विहार, नई दिल्ली – 110092	**ईमेल:** ip.mksingh@gmail.com **2. श्री कृत नारायण मिश्रा** **पंजीकरण सं:** IBBI/IPA-001/IP-P00441/2017-18/10784 **पता:** सी–3, प्लॉट नंबर 8, सेक्टर 12, द्वारका, नई दिल्ली –110078 **ईमेल:** kritmassociates@gmail.com **3. श्री रंणजीत कुमार वर्मा** **पंजीकरण सं:** IBBI/IPA-002/IP-N00301/2017-18/10859 **पता:** ए–706, टावर 44, एनएक्स–वन, टेक जोन 4, ग्रेटर नोएडा वेस्ट, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश,201306	**ईमेल:** irp.ranjeetcs@gmail.com
14.	(क) संबंधित प्रपत्र और (ख) अधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण यहां उपलब्ध है:	(क) वेबलिंक: https://ibbi.gov.in/uploads/downloads/Form_A.docx https://ibbi.gov.in/ips-register/r-ips (ख) कार्यालय: 15 / 775, वसुन्धरा, गाजियाबाद–201012	

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण ने **03 फरवरी 2026** को **वाटिका लिमिटेड** की कॉर्पोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है।

वाटिका लिमिटेड के लेनदारों से एतद्द्वारा अपने दावों का प्रमाण **17 फरवरी 2026** को अथवा पूर्व अंतरिम समाधान प्रोफेशनल के समक्ष ऊपर आइटम 10 के समक्ष वर्णित पते पर प्रस्तुत करने की मांग की जाती है।

वित्तीय लेनदारों को अपने दावों का प्रमाण केवल इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा प्रस्तुत करना होगा। अन्य सभी लेनदार अपने दावों का प्रमाण व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक साधनों प्रस्तुत कर सकते हैं।

प्रविष्टि संख्या 12 के सामने सूचीबद्ध एक वर्ग से संबंधित एक वित्तीय ऋणदाता, फॉर्म सीए में वर्ग [होम बायर्स] के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए प्रविष्टि संख्या 13 के खिलाफ सूचीबद्ध तीन दिवालियापन पेशेवरों में से अधिकृत प्रतिनिधि की अपनी पसंद का संकेत देगा।

दावे के फर्जी अथवा धामक प्रमाण की प्रस्तुति दंडनीय होगी।

हस्ता/–
जयंत प्रकाश
अंतरिम समाधान प्रोफेशनल, वाटिका लिमिटेड
पंजीकरण सं.: IBBI/IPA-001/IP–P00597/2017-8/11049

दिनांक: 04.02.2026
स्थान: गाजियाबाद